

भलीकर

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहा

आदेश - पत्रक

(देख अभिलेख 941 का नियम 26)

तारीख 06/03/13 से 24/04/13 तक

आदेश पत्रक

RTPS APPLICATION NO. 0424 Date 06/03/13

जिला - पटना

केश का प्रकार:-दाखिल खारीज दाखिल खारीज बाद सं० 57 / 2013-2014 हल्का सं० 06

तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

06/03/13

श्री/श्रीमती शारदा देवी
 पिता/पति सहजीर सिंह
 ग्राम जनाईपुर पो० फतुहा
 थाना फतुहा जिला पटना
 केवाला सं० 1813 दिनांक 09/05/05 के आधार पर निम्नलिखित जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन दाखिल किया है

मौजा का नाम	थाना सं०	खार्ता सं०	खेसरा	रकबा	लगान
<u>जनाईपुर</u>	<u>29</u>	<u>14</u>	<u>468</u>	<u>05 इडा</u> <u>01 इडा</u>	<u>1.500</u> <u>30.000</u>

मूल आवेदन पर हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दें। अभिलेख दिनांक 13/03/13 को उपस्थापित करें।

लेखापिते एवं संशोधित

अंचलधिकारी
फतुहा।

अंचलधिकारी
फतुहा।

1/03/13

अभिलेख उपस्थापित है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है।

2/03/13

हल्का कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी विक्रेता/प्रावस्कता/दूनकर्ता के नाम से नहीं मिलती है। अतः आवेदक से जमाबंदी से संबंधित साक्ष्य की मांग करें। अभिलेख दिनांक 16/04/13 को उपस्थापित करें। लेखापिते एवं संशोधित।

अंचलाधिकारी
फतुहा।

अंचलाधिकारी
फतुहा।

सहजीर सिंह

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहां
आदेश

पृ० संख्या:-02

दाखिल खारीज बाद सं०...../2012-2013

हल्का सं०.....

तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर
की गई
कार्रवाई के
वारे में
टिप्पणी
तारीख
सहित

10/04/13

4/04/10

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त है। आवेदक/आवेदिका
उपस्थित/अनुपस्थित। आवेदक /आवेदिका के स्तर से उपरोक्त नोटिस के माध्यम से
मांगी गई वांछित साक्ष्य आज तक अप्राप्त है, चुंकि हल्का कर्मचारी/अं०नि० के द्वारा
प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन कि जमाबंदी विकेता/द्रमकर्त्ता/प्रवरदाता के
नाम से पंजी-II में नहीं मिलती है। उक्त वांछित साक्ष्य के बगैर दा०खा० स्वीकृत
करना संभव प्रतीत नही होता है, अतः ऐसी परस्थिति में उपरोक्त वांछित साक्ष्य के
अभाव में आवेदक /आवेदिका के आवेदन को किया जाता
है। आवेदक /आवेदिका अगर चाहें तो अपने हक/हिस्से को प्राप्त करने के लिए
सक्षम न्यायालय में जा सकते है

लेखापित एवं संशोधित।

अंचलाधिकारी
फतुहां।

अंचलाधिकारी
फतुहां।